संख्या- 11/2025/1747/002- 78-02099/70/2023

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च,2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपीडेस्को में प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) के गठन / संचालन के लिए धनराशि रू0 5960954.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-D/24-25/2797, दिनांक 06-11-2024, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में यूपीडेस्को में प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पीएमयू) के गठन / संचालन के लिए प्राविधानित धनराशि रु0 141.94 लाख (रुपये एक करोड़, इकतालीस लाख,चौरानवे हजार मात्र) में से माह नवम्बर, 2024 से मार्च, 2025 (05 माह) हेतु अद्यतन अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 5960954.00 (रूपये उनसठ लाख, साठ हजार, नौ सौ चौवन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबंधित योजना में पारित एमओयू / निविदा / कार्यादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6 (ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयको

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन एवं मानक मद के लिए किया जायेगा । जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं पी.एम.यू. में नियोजित जनशक्ति एवं कार्यावधि के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर ही धनराशि का आहरण एवं भुगतान किया जायेगा।

(10) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा राजकोष में जमा कराते हुये उसकी प्रमाणिक सूचना शासन को भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5960954.00 (रुपये उनसठ लाख, साठ हजार, नौ सौ चौवन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072020600 यू.पी. डेस्को के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन मानक मद 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या- 11(1) /2025/1747(1) /002-78-02099/70/2023 एवं दिनांक यथोक्त:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0,लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
10. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
11. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
12. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।